



**कार्यालय :- प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
झारखण्ड, राँची**

वन भवन, डोरण्डा, राँची

E-mail :- apccf-development@gov.in, Phone No. 0651-2481813



पत्रांक : 01 / यो0ब0-15 / 2016- 794 दिनांक : 22/6/18

प्रेषक,

प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास
झारखण्ड, राँची ।

सेवा में,

वन प्रमण्डल पदाधिकारी, गिरिडीह पश्चिमी वन प्रमण्डल / गिरिडीह पूर्वी वन प्रमण्डल / बोकारो वन प्रमण्डल / गढ़वा दक्षिणी वन प्रमण्डल / गढ़वा उत्तरी वन प्रमण्डल / सामाजिक वानिकी प्रमण्डल, हजारीबाग / चतरा दक्षिणी वन प्रमण्डल / चतरा उत्तरी वन प्रमण्डल / हजारीबाग पूर्वी वन प्रमण्डल / हजारीबाग पश्चिमी वन प्रमण्डल / सामाजिक वानिकी प्रमण्डल, गढ़वा

विषय :-

वित्तीय वर्ष 2018-19 में कार्यान्वित की जाने वाली "अधिसूचित वनभूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण" योजना (अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना) के अंतर्गत भू-संरक्षण एवं वृक्षारोपण तथा शीघ्र बढ़ने वाले पौधों का रोपण का सम्पोषण कार्य (तृतीय वर्ष) के लिए कुल रु0 64.222 लाख (चौंसठ लाख बाईस हजार दो सौ रुपये) मात्र राशि का ऑन लाईन उप आवंटन (Online Sub Allotment)।

प्रसंग:-

विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या 4 / यो0बजट-20 / 2016-54 / स्वी0 व0प0 दिनांक-17.01.2017 एवं वन विभागीय आवंटन आदेश संख्या 04 / यो0बजट-20 / 2016-05 / आ0 व0प0 दिनांक 27.04.2018 ।

महाशय,

उपरोक्त विषयक प्रसंगाधीन पत्र के आलोक में बजट मुख्य शीर्ष 2406-वानिकी एवं वन्य प्राणी, उप मुख्य शीर्ष-01 वानिकी, लघु शीर्ष- 789 अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना, उप शीर्ष-58-अधिसूचित वनभूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण योजना के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2018-19 में उपबंध के अंतर्गत स्वीकृत राशि में कुल रु0 64.222 लाख (चौंसठ लाख बाईस हजार दो सौ रुपये) मात्र का उप आवंटन निम्नलिखित इकाईयों में किया जाता है:-

| प्राथमिक इकाई | विपत्र कोड | (राशि लाख में) |
|---------------------|--------------------|----------------|
| मजदूरी | 19S240601789580103 | 53.981 |
| आपूर्ति एवं सामग्री | 19S240601789580323 | 10.241 |
| कुल :- | | 64.222 |

2. इस राशि की निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी अनुलग्नक-1 (क) से (ख) पर वर्णित वन प्रमण्डल पदाधिकारी होंगे जो अपने समुख अंकित कार्यों की राशि से अपने-अपने कार्यालयों के कार्यों के लिए उत्तरदायी होंगे एवं विभाग को ससमय भौतिक एवं वित्तीय प्रगति प्रतिवेदन तथा उपयोगिता प्रमाण पत्र समर्पित करेंगे। कार्यदर अनुलग्नक-2 (क) से (ख) पर तथा ऑन लाईन उप आवंटन की प्रति अनुलग्नक-3 पर द्रष्टव्य है।

3. इस योजना का कोड संख्या— पी० 19S240601789580103 तथा पी० 19S240601789580323 है, जो कोषागार से राशि निकासी के लिए प्रस्तुत विषयों एवं व्यय प्रतिवेदन में अनिवार्य रूप से अंकित किया जाएगा।

4. सभी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों द्वारा राशि की निकासी एवं व्यय झारखण्ड कोषागार संहिता के नियम 174 एवं वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर निर्गत सुसंगत दिशा-निर्देशों के अनुरूप करना सुनिश्चित किया जायेगा।

5. वन प्रमण्डलों द्वारा “स्थल विशेष प्राक्कलन” श्रम नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग द्वारा वित्तीय वर्ष 2018-19 की निर्धारित न्यूनतम मजदूरी दर एवं कार्य दरों पर तैयार किया जायेगा तथा प्राक्कलन पर वन एवं पर्यावरण विभाग के संकल्प संख्या 564 दिनांक 18.02.2008 के अनुसार प्रशासनिक अनुमोदन एवं तकनीकी स्वीकृति सक्षम वन पदाधिकारियों द्वारा प्रदान की जायेगी जिसकी प्रमण्डलवार समेकित प्रतिवेदन प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास कार्यालय में समर्पित किया जायेगा।

6. नियंत्री तथा व्ययन पदाधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि योजना का भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य प्रशासनिक स्वीकृति के अनुरूप ही रखा जायेगा तथा राशि का व्यय वास्तविक रूप से स्थल विशेष प्राक्कलन पर प्रदत्त तकनीकी स्वीकृति एवं प्रशासनिक अनुमोदन तक सीमित रखा जायेगा।

7. इस योजना के नियंत्री पदाधिकारी प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास होंगे। नियंत्री पदाधिकारी द्वारा योजनान्तर्गत वित्तीय एवं भौतिक प्रगति से प्रत्येक माह वन एवं पर्यावरण विभाग को अवगत कराया जायेगा। निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों द्वारा योजना का सफल कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जायेगा। निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों के नियंत्रक पदाधिकारियों एवं संबंधित अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक/ क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक/ वन संरक्षक द्वारा योजना के कार्यान्वयन का सतत अनुश्रवण सुनिश्चित किया जायेगा।

8. स्वीकृत राशि की निकासी वित्त विभाग के पत्रांक 2561 दिनांक 17.04.1998 के आलोक में निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों यह सुनिश्चित करेंगे कि किसी भी परिस्थिति में उप आवंटित राशि से अधिक की निकासी एवं व्यय नहीं किया जायेगा तथ एतद् संबंधी पत्र-परिपत्र का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

9. नियंत्री तथा निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की यह जिम्मेवारी रहेगी, अगर वे देखें कि यदि कोई ऐसी योजना का कार्य के विरुद्ध राशि का व्यय किया जा रहा है, जिसे दूसरे स्त्रोत से राशि मिल रही है या मिलने जा रही है, तो इसकी निकासी रोकर इसके निराकरण हेतु सूचना संबंधित पदाधिकारी या विभाग को तुरंत देंगे।

10. इस योजनान्तर्गत वानिकी कार्यों का सम्पादन विभागीय अधिसूचना संख्या 2371 दिनांक 05.05.2015 में निहित प्रावधानों के तहत सक्षम प्राधिकार से अनुमोदित दर पर किया जायेगा तथा योजनान्तर्गत किये जाने वाले ऐसे कार्य जिनका दर विभागीय अधिसूचना संख्या 2371 दिनांक 05.05.2015 में निरूपित प्रावधानों के कार्यक्षेत्र से बाहर है, की दर का निर्धारण योजना के नियंत्री पदाधिकारी द्वारा वित्त विभाग की निर्धारित प्रक्रिया के अनुरूप किया जायेगा।

11. योजनाओं में सामग्री का क्रय वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर निर्गत दिशा-निर्देश एवं वित्तीय नियमों तथा वन एवं पर्यावरण विभाग के संकल्प संख्या-940 दिनांक 16.03.1992 द्वारा क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक/मुख्य वन संरक्षक की अध्यक्षता में गठित क्रय समिति की अनुशंसाओं के अनुसार किया जायेगा।

12. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा Account Code Vol (III) की धारा 288 के अनुसार अपने कार्यालय का मासिक लेखा आगामी माह की 5वीं तारीख तक महालेखाकार कार्यालय में जमा करना सुनिश्चित किया जायेगा तथा लेखा का त्रैमासिक Reconciliation समय निश्चित रूप से कराना सुनिश्चित किया जायेगा।

13. रोपित पौधों/ वृक्षों में जीवित पौधों की आवश्यकतानुसार जाँच/ सत्यापन असम्बद्ध प्रमण्डल से कराई जायेगी।

14. वृक्षारोपण के जीवित पौधों के प्रतिशत का आँकड़ा वर्षवार विभागीय Website पर फोटो के साथ डाला जाय तथा इसकी सूचना सरकार को भी उपलब्ध करायी जायेगी।

15. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि इस योजना अंतर्गत मजदूरी मद में मजदूरों को भुगतान श्रम नियोजन, प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग के निर्धारित दर तक सीमित रहेगा एवं भुगतान की जाने वाली राशि का भुगतान मजदूरों के बैंक खाते/ डाक घर खाते के माध्यम से ही किया जायेगा, साथ ही सामग्री के भुगतान में विभागीय पत्रांक 1204 दिनांक 20.03.2017 का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

अनुलग्नक :- यथोक्त ।

विश्वासभाजन,

प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
झारखण्ड, राँची

ज्ञापांक- 01 / यो0ब0-15 / 2016- 794 दिनांक- 22 / 6 / 18

प्रतिलिपि :- अनुलग्नक सहित अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं निदेशक, प्रसार वानिकी, उत्तरी छोटानागपुर, पलामू एवं हजारीबाग/ क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, बोकारो/ पलामू/ हजारीबाग/ वन संरक्षक, प्रादेशिक अंचल, गिरिडीह/ बोकारो/ गढ़वा/ चतरा/ हजारीबाग/ एनवीस सेन्टर, डोरण्डा, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनुलग्नक :- यथोक्त ।

प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
झारखण्ड, राँची

ज्ञापांक- 01 / यो0ब0-15 / 2016- 795 दिनांक- 22 / 6 / 18

प्रतिलिपि :- अनुलग्नक सहित कोषागार पदाधिकारी, गिरिडीह/ बोकारो/ गढ़वा/ हजारीबाग/ चतरा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनुलग्नक :- यथोक्त ।

प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
झारखण्ड, राँची

वित्तीय वर्ष 2018-19 में कार्यान्वित की जाने वाली “अधिसूचित वनभूमि पर वृक्षारोपण” योजना (अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना) के अन्तर्गत भू-संरक्षण एवं वृक्षारोपण का सम्पोषण कार्य (तृतीय वर्ष) का प्रमण्डलवार भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य,

राशि (रु0 लाख में)

| क्र. सं. | निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी | भौतिक लक्ष्य (हेए) | वित्तीय लक्ष्य | | |
|----------|-------------------------------------|--------------------|----------------|---------------------|----------|
| | | | मजदूरी | आपूर्ति एवं सामग्री | कुल राशि |
| | | | 9295.80 | 2182.40 | 11478.20 |
| i | ii | iii | iv | v | vi |
| 1 | गिरिडीह पश्चिमी वन प्रमंडल, गिरिडीह | 30 | 2.789 | 0.655 | 3.444 |
| 2 | बोकारो वन प्रमंडल, बोकारो | 45 | 4.183 | 0.982 | 5.165 |
| 3 | गढ़वा दक्षिणी वन प्रमंडल, गढ़वा | 30 | 2.789 | 0.655 | 3.444 |
| 4 | सामाजिक वानिकी प्रमंडल, हजारीबाग | 45 | 4.183 | 0.982 | 5.165 |
| योग :- | | 150 | 13.944 | 3.274 | 17.218 |

अनुलग्नक-1(ख)

वित्तीय वर्ष 2018-19 में कार्यान्वित की जाने वाली “अधिसूचित वनभूमि पर वृक्षारोपण” योजना (अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना) के अन्तर्गत शीघ्र बढ़ने वाले पौधों का रोपण का सम्पोषण कार्य (तृतीय वर्ष) का प्रमण्डलवार भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य

राशि (रु0 लाख में)

| क्र. सं. | निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी | भौतिक लक्ष्य (हेए) | वित्तीय लक्ष्य | | |
|------------|---------------------------------------|--------------------|----------------|---------------------|----------|
| | | | मजदूरी | आपूर्ति एवं सामग्री | कुल राशि |
| | | | 13806.02 | 2402.50 | 16208.52 |
| i | ii | iii | iv | v | vi |
| 1 | चतरा दक्षिणी वन प्रमंडल, चतरा | 50 | 6.903 | 1.201 | 8.104 |
| 2 | चतरा उत्तरी वन प्रमंडल, चतरा | 60 | 8.284 | 1.442 | 9.726 |
| 3 | हजारीबाग पूर्वी वन प्रमंडल, हजारीबाग | 30 | 4.142 | 0.721 | 4.863 |
| 4 | हजारीबाग पश्चिमी वन प्रमंडल, हजारीबाग | 30 | 4.142 | 0.721 | 4.863 |
| 5 | गिरिडीह पूर्वी वन प्रमंडल, गिरिडीह | 30 | 4.142 | 0.720 | 4.862 |
| 6 | गिरिडीह पश्चिमी वन प्रमंडल, गिरिडीह | 30 | 4.142 | 0.720 | 4.862 |
| 7 | गढ़वा उत्तरी वन प्रमंडल, गढ़वा | 30 | 4.141 | 0.721 | 4.862 |
| 8 | सामाजिक वानिकी प्रमंडल, गढ़वा | 30 | 4.141 | 0.721 | 4.862 |
| योग :- | | 290 | 40.037 | 6.967 | 47.004 |
| सकल योग :- | | 440 | 53.981 | 10.241 | 64.222 |

विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या 04 / यो0ब0-20 / 2016-54 / स्वी0 व0प0 दिनांक 17.01.2017

प्रधान संख्या वन संरक्षक, विकास,
जारखण्ड, राँची

वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए वृक्षारोपण की अनुसूचित कार्य दर
योजना का नाम— भू-संरक्षण एवं वनरोपण योजना वन भूमि अंतर्गत वृक्षारोपण

पौधों की संख्या प्रति हेठले : 1666

पौधों की दूरी : (3 मीटर x 2 मीटर)

मजदूरी दर : 237.38 रुपये प्रति मानव दिवस

| क्र० | कार्य का विवरणी | इकाई | मानव दिवस | मजदूरी (रुपये में) | सामग्री (रुपये में) | कुल व्यय (रुपये में) |
|--------|-------------------------------------|-------|-----------|--------------------|---------------------|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | एक कोड़नी एवं निकौनी | हेठले | 23.00 | 5459.74 | 0.00 | 5459.74 |
| 2 | सामग्री (उर्वरक, खाद, रसायन आदि) | | 0.00 | 0.00 | 1892.40 | 1892.40 |
| 3 | पौधों की सुरक्षा (30 हेठले तक) | हेठले | 12.16 | 2886.54 | 0.00 | 2886.54 |
| | पौधों की सुरक्षा (30 हेठले से अधिक) | | | | | |
| 4 | गड्ढा धेरान की मरम्मत | चेन | 1.00 | 237.38 | 0.00 | 237.38 |
| 5 | मृत पौधों का प्रतिस्थापन | हेठले | 3.00 | 712.14 | 290.00 | 1002.14 |
| योग :— | | | | 39.16 | 9295.80 | 2182.40 |
| | | | | | | 11478.20 |

वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए वृक्षारोपण की अनुसूचित कार्य दर
योजना का नाम : 2500 पौधे का वृक्षारोपण

पौधों की संख्या प्रति हेठले : 2500 पौधे

पौधों की दूरी : 2 मीटर x 2 मीटर

मजदूरी दर : 237.38 रुपये प्रति मानव दिवस

| क्रम | कार्य का विवरणी | ि | ii | iii | iv | v | vi | vii |
|--------|--|-------|-------|---------|----------|---------|----------|-----|
| i | ii | iii | iv | v | vi | vii | | |
| 1 | एक कोड़नी-निकौनी | हेठले | 35.00 | 8308.30 | 0.00 | 8308.30 | | |
| 2 | सामग्री (बीज, उर्वरक, कम्पोस्ट खाद, डी०ए०पी० / उरिया, जैविक किटनासक आदि) | हेठले | 0.00 | 0.00 | 1962.50 | 1962.50 | | |
| 3 | पौधों की सुरक्षा | | | 0.00 | | | | |
| 3.1 | 30 हेठले तक | हेठले | 12.16 | 2886.54 | | 2886.54 | | |
| 3.2 | 30 हेठले से 60 हेठले तक | | | | | | | |
| 4 | धेरान मरम्मति | चेन | 6.00 | 1424.28 | 0.00 | 1424.28 | | |
| 5 | मृत पौधों का प्रतिस्थापन | हेठले | 5.00 | 1186.90 | 440.00 | 1626.90 | | |
| योग :— | | | | 58.16 | 13806.02 | 2402.50 | 16208.52 | |

प्रधान मर्ख्य वन संस्कार विकास,
 झारखण्ड, राँची



आवंटन आदेश

आरखड ज़रकार

चालू वित्तीय वर्ष 2018-19 में व्यय हेतु निर्भावित दर्शाए गए बजट शीर्ष के सामने अंकित राशि आवंटित की जाती है।

पत्र संख्या - 01/YB-15/16/794

दिनांक -

22-Jun-2

| क्रमांक | विप्रव कोड | एक्सेस नं | निकासी एवं व्यवन पदा. | आवंटित राशि |
|---------|---|-----------|---|---|
| 1 | S 19 240601789580103 2406 - वानिकी तथा बन्य प्राणी 01 - वानिकी 789 - अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना 58 - अधिसूचित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 01 - वेतन एवं भत्ते 03 - भजदूरी State Scheme | 36400 | GRDFOR003 SRI SATYAM KUMAR D.F.O. GIRIDIH WEST FOR. DIV. | 693,100.00 रुपये छ: लाख तिरनवे हजार एक सौ |
| 2 | S 19 240601789580103 2406 - वानिकी तथा बन्य प्राणी 01 - वानिकी 789 - अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना 58 - अधिसूचित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 01 - वेतन एवं भत्ते 03 - भजदूरी State Scheme | 36401 | GRDFOR001 KUMAR ASHISH DFO GIRIDIH EAST FOR. DIV. | 414,200.00 रुपये चार लाख छोड़ हजार दो सौ |
| 3 | S 19 240601789580103 2406 - वानिकी तथा बन्य प्राणी 01 - वानिकी 789 - अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना 58 - अधिसूचित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 01 - वेतन एवं भत्ते 03 - भजदूरी State Scheme | 36402 | BKRFOR001 P.R. NAIDU D F O, BOKARO | 418,300.00 रुपये चार लाख अठारह हजार तीन सौ |
| | | | | 1,525,600.00 |

योग:

क्रमिक योग:

रुपये पद्धत लाख पच्चीस हजार छ: सौ

(SHRI SATNAM SINGH)
PCOF.DAHHANAGAR BRANCHI

| क्रमांक | विषय कोड | एक्सेस नं | निकासी एवं व्यवयन पदा. | आवंटित राशि |
|--------------------------|---|-----------|---|-------------|
| 4 | S 19 240601789580103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 789 - अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना 58 - अधिसूचित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 01 - वेतन एवं भत्ते 03 - मजदूरी State Scheme State Scheme : AFFORESTATION & SOIL CONSERVATION ON NOTIFIED FOREST LAND(1278) Central Scheme : NA | 36403 | GRHFWL004 SR ARVIND KUMAR D.F.O. SOUTH DIV,GARHWA | 278,900.00 |
| 5 | S 19 240601789580103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 789 - अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना 58 - अधिसूचित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 01 - वेतन एवं भत्ते 03 - मजदूरी State Scheme State Scheme : AFFORESTATION & SOIL CONSERVATION ON NOTIFIED FOREST LAND(1278) Central Scheme : NA | 36404 | GRHFWL001 ASHOK KUMAR DUBEY D.F.O. NORTH DIV. GARHWA | 414,100.00 |
| 6 | S 19 240601789580103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 789 - अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना 58 - अधिसूचित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 01 - वेतन एवं भत्ते 03 - मजदूरी State Scheme State Scheme : AFFORESTATION & SOIL CONSERVATION ON NOTIFIED FOREST LAND(1278) Central Scheme : NA | 36405 | HZBFWL007 NAGENDRA BAITHA, I F S D.F.O., S. F. DIV., HAZARIBAG | 418,300.00 |
| योग: 1,111,300.00 | | | | |
| क्रमिक योग: 2,636,900.00 | | | | |

| क्रमांक | विपत्र कोड | एक्सेस नं | निकासी एवं व्ययन पदा. | आवंटित राशि |
|---|--|-----------|-----------------------|--------------------------------|
| 7 | S 19 240601789580103 | 36406 | CTRFOR003 | 690,300.00 |
| | 2406 - वानिकी तथा बन्य प्राणी | | SRI KALI KINKER | रुपये छ: लाख नव्वे हजार तीन सौ |
| | 01 - वानिकी | | D.F.O. SOUTH DIVN. | |
| | 789 - अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना | | CHATRA | |
| | 58 - अधिसूचित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण | | | |
| | 01 - वेतन एवं भन्ने | | | |
| | 03 - मजदूरी | | | |
| | State Scheme | | | |
| | State Scheme : AFFORESTATION & SOIL CONSERVATION ON NOTIFIED FOREST LAND(1278) | | | |
| | Central Scheme : NA | | | |
| 8 | S 19 240601789580103 | 36407 | CTRFOR002 | 828,400.00 |
| | 2406 - वानिकी तथा बन्य प्राणी | | RAVINDRA NATH MISHRA | रुपये आठ लाख अठाइस हजार चार सौ |
| | 01 - वानिकी | | D.F.O. NORTH DIV. | |
| | 789 - अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना | | CHATRA | |
| | 58 - अधिसूचित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण | | | |
| | 01 - वेतन एवं भन्ने | | | |
| | 03 - मजदूरी | | | |
| | State Scheme | | | |
| | State Scheme : AFFORESTATION & SOIL CONSERVATION ON NOTIFIED FOREST LAND(1278) | | | |
| | Central Scheme : NA | | | |
| 9 | S 19 240601789580103 | 36408 | HZBFWL009 | 414,200.00 |
| | 2406 - वानिकी तथा बन्य प्राणी | | SUSHIL SOREN | रुपये चार लाख चौदह हजार दो सौ |
| | 01 - वानिकी | | DIV. FOREST OFFICE | |
| | 789 - अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना | | EAST | |
| | 58 - अधिसूचित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण | | | |
| | 01 - वेतन एवं भन्ने | | | |
| | 03 - मजदूरी | | | |
| | State Scheme | | | |
| | State Scheme : AFFORESTATION & SOIL CONSERVATION ON NOTIFIED FOREST LAND(1278) | | | |
| | Central Scheme : NA | | | |
| योग: | | | | 1,932,900.00 |
| क्रमिक योग: | | | | 4,569,800.00 |
| <p>रुपये पैतालीस लाख उनहत्तर हजार आठ सौ</p> <p><i>S. B. Jaiswal</i> (SHRI SATNAM SINGH PCCF, DILAWAR KHANS (RANCHI)</p> | | | | |

योगः

कमिक गोवा

रुपये पद्यपन लाख पैतीस हजार छः सौ

965,800.00

5,535,600.00


(SHRI SATNAM SINGH)
S. 55 P. 54/10/2014 NCLT

| क्रमांक | विपत्र कोड | एक्सेस नं | निकासी एवं व्यवन पदा. | आवंटित राशि |
|-------------|--|-----------|--|--------------------------------------|
| 13 | S 19 240601789580323 | 36429 | GRDFOR001 KUMAR ASHISH DFO GIRIDIH EAST FOR.DIV. | 72,000.00 रुपये अहल्तर हजार |
| | 2406 - वानिकी तथा बन्य प्राणी 01 - वानिकी 789 - अनुमूलित जातियों के लिए विशेष घटक योजना 58 - अधिसूचित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 03 - प्रशासनिक व्यय 23 - आपूर्ति एवं सामग्री State Scheme | | | |
| | State Scheme : AFFORESTATION & SOIL CONSERVATION ON NOTIFIED FOREST LAND(1278) Central Scheme : NA | | | |
| 14 | S 19 240601789580323 | 36430 | BKRFOR001 P.R. NAIDU D.F.O. BOKARO | 98,200.00 रुपये अठानवे हजार दो सौ |
| | 2406 - वानिकी तथा बन्य प्राणी 01 - वानिकी 789 - अनुमूलित जातियों के लिए विशेष घटक योजना 58 - अधिसूचित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 03 - प्रशासनिक व्यय 23 - आपूर्ति एवं सामग्री State Scheme | | | |
| | State Scheme : AFFORESTATION & SOIL CONSERVATION ON NOTIFIED FOREST LAND(1278) Central Scheme : NA | | | |
| 15 | S 19 240601789580323. | 36431 | GRHFWL004 SR ARVIND KUMAR D.F.O. SOUTH DIV.GARHWA | 65,500.00 रुपये पैसठ हजार पौँच सौ |
| | 2406 - वानिकी तथा बन्य प्राणी 01 - वानिकी 789 - अनुमूलित जातियों के लिए विशेष घटक योजना 58 - अधिसूचित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 03 - प्रशासनिक व्यय 23 - आपूर्ति एवं सामग्री State Scheme | | | |
| | State Scheme : AFFORESTATION & SOIL CONSERVATION ON NOTIFIED FOREST LAND(1278) Central Scheme : NA | | | |
| योग: | | | | 235,700.00 |
| क्रमिक योग: | रुपये सत्तावन लाख इकहत्तर हजार तीन सौ | | | 5,771,300.00 |
| | | | | |
| | | | (SHRI SATNAM SINGH PCCF, D.B.D.M.H.(RANCHI)) | |


| क्रमांक | विपरीत कोड | एक्सेस नं | निकासी एवं व्यवन पदा. | आवंटित राशि |
|-------------|--|---|--|---|
| 16 | S 19 240601789580323 | 36432 | GRHFWL001 ASHOK KUMAR DUBEY D.F.O. NORTH DIV. GARHWA | 72,100.00 रुपये बहत्तर हजार एक सौ |
| | 2406 - वानिकी तथा बन्य प्राणी 01 - वानिकी 789 - अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना 58 - अधिसूचित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 03 - प्रशासनिक व्यय 23 - आपूर्ति एवं सामग्री State Scheme | | |  |
| | State Scheme : AFFORESTATION & SOIL CONSERVATION ON NOTIFIED FOREST LAND(1278) Central Scheme : NA | | | |
| 17 | S 19 240601789580323 | 36433 | HZBFWL007 NAGENDRA BAITHA, I F S D.F.O., S. F. DIV., KAMRIBAG | 98,200.00 रुपये अठानवे हजार दो सौ |
| | 2406 - वानिकी तथा बन्य प्राणी 01 - वानिकी 789 - अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना 58 - अधिसूचित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 03 - प्रशासनिक व्यय 23 - आपूर्ति एवं सामग्री State Scheme | | |  |
| | State Scheme : AFFORESTATION & SOIL CONSERVATION ON NOTIFIED FOREST LAND(1278) Central Scheme : NA | | | |
| 18 | S 19 240601789580323 | 36434 | CTRFOR003 SRI KALI KINKER D.F.O. SOUTH DIVN. CHATRA | 120,100.00 रुपये एक लाख बीस हजार एक सौ |
| | 2406 - वानिकी तथा बन्य प्राणी 01 - वानिकी 789 - अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना 58 - अधिसूचित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 03 - प्रशासनिक व्यय 23 - आपूर्ति एवं सामग्री State Scheme | | |  |
| | State Scheme : AFFORESTATION & SOIL CONSERVATION ON NOTIFIED FOREST LAND(1278) Central Scheme : NA | | | |
| योग: | | | | 290,400.00 |
| क्रमिक योग: | रुपये साहाठ लाख इक्सठ हजार सात सौ | | | 6,061,700.00 |
| | |  (SHRI SATNAM SINGH PCCF, DEPARTMENT OF FOREST, RANCHI) | | |

| क्रमांक | विपरीत कोड | एक्सेस नं | निकासी एवं व्यवन पदा. | आवंटित राशि |
|-------------|--|-----------|---|--|
| 19 | S 19 240601789580323 | 36435 | CTRFOR002 RAVINDRA NATH MISHRA D.F.O. NORTH DIV. CHATRA | 144,200.00 रुपये एक लाख चावलीस हजार दो सौ |
| | 2406 - वानिकी तथा बन्य प्राणी 01 - वानिकी 789 - अनुमूलित जातियों के लिए विशेष घटक योजना 58 - अधिसूचित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 03 - प्रशासनिक व्यय 23 - आपूर्ति एवं सामग्री State Scheme | | | |
| | State Scheme : AFFORESTATION & SOIL CONSERVATION ON NOTIFIED FOREST LAND(1278) Central Scheme : NA | | | |
| 20 | S 19 240601789580323 | 36436 | HZBFWL009 SUSHIL SOREN D.F.O. FOREST OFFICE | 72,100.00 रुपये बहत्तर हजार एक सौ |
| | 2406 - वानिकी तथा बन्य प्राणी 01 - वानिकी 789 - अनुमूलित जातियों के लिए विशेष घटक योजना 58 - अधिसूचित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 03 - प्रशासनिक व्यय 23 - आपूर्ति एवं सामग्री State Scheme | | | |
| | State Scheme : AFFORESTATION & SOIL CONSERVATION ON NOTIFIED FOREST LAND(1278) Central Scheme : NA | | | |
| 21 | S 19 240601789580323 | 36437 | HZBFWL005 RAJIV RANJAN D.F.O., HAZARIBAG WEST DIV,HZB | 72,100.00 रुपये बहत्तर हजार एक सौ |
| | 2406 - वानिकी तथा बन्य प्राणी 01 - वानिकी 789 - अनुमूलित जातियों के लिए विशेष घटक योजना 58 - अधिसूचित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 03 - प्रशासनिक व्यय 23 - आपूर्ति एवं सामग्री State Scheme | | | |
| | State Scheme : AFFORESTATION & SOIL CONSERVATION ON NOTIFIED FOREST LAND(1278) Central Scheme : NA | | | |
| | | | | 288,400.00 |
| योग: | | | | 6,350,100.00 |
| क्रमिक योग: | रुपये तीरसठ लाख पचास हजार एक सौ | | | |
| | | |  (SHRI SATYADEO SINGH PCOF, DEO (ADMANI GANJ) RANCHI) | |

| क्रमांक | विपत्र कोड | एक्सेस नं | निकासी एवं व्यवन पदा. | आवंटित राशि |
|---------|--|-----------|---|-------------------------------------|
| 22 | S 19 240601789580323 2406 - वानिकी तथा बन्य प्राणी 01 - वानिकी 789 - अनुसूचित जातियों के लिए विशेष चटवा योजना 58 - अधिसूचित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 03 - प्रशासनिक व्यय 23 - आपूर्ति एवं सामग्री State Scheme State Scheme : AFFORESTATION & SOIL CONSERVATION ON NOTIFIED FOREST LAND(1278) Central Scheme : NA | 36438 | GRHFWL003 SHYAM BIHARI PRASAD DFO SOCIAL FORESTRY DIV GARHW | 72,100.00 रुपये बहतार हजार एक सौ |



| | |
|-------------|--------------|
| योग: | 72,100.00 |
| क्रमिक योग: | 6,422,200.00 |


 (SHRI SATNAM SINGH
 DCF-DEADMARKHANS)RANCHI